न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 105/2017

1 पूर्णमल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी सुजावास रोड़ गोरियां तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 रामेश्वर पुत्र सुरजाराम।
2 भगवाना पुत्र सुरजाराम।
3 हरफूल पुत्र सुरजाराम।
4 रामनारायण पुत्र सुरजाराम समस्त जाति जाट निवासीगण गोरियां तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
5 जगदीश पुत्र जमनाराम जाति कुमावत निवासी हर्षन्या तहसील व जिला सीकर।
6 रितु पारिक पत्नी मनोज कुमार जाति पारिक निवासी रलावता तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
7 लालचन्द पुत्र मालीराम जाति कुमावत निवासी पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
8 सुमन देवी पत्नी महावीर प्रसाद जाति कुमावत निवासी भोजा की ढ़ाणी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
9 हेमसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी त्रिलोकपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
10 उप तहसीलदार/उप पंजियक महोदय पलसाना जिला सीकर।
11 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.08.2021 न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर प्रकरण अनुवानी रामेश्वर आदि बनाम रामरतन आदि मुकदमा नम्बर 31/2011 दावा उद्घोषणा बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती इन्द्राज अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :

1. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जगराम कुड़ी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 21.09.2021

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 31/2011 में पारित निर्णय दिनांक 03.08.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 160,161,163/295,293 तन ग्राम गोरियां तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के सम्बंध में वाद उद्घोषणा, बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड दुरूस्ती विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर के यहां प्रस्तुत किया, जिस पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये समन तबल किया, जिस पर अपीलांट ने दिनांक 23.04.2012 को एकतरफा मंसूखी आवेदन प्रस्तुत किया जो अभी तक विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय में विचाराधीन है व शेष प्रतिवादीगण की तलबी नही हुई व विचारण न्यायालय ने बिना शेष की तलबी हुए व बिना पक्षकारान को सुनवाई व सबूत का मौका दिये ही सीपीसी के प्रावधानों के विपरित जाकर विधि विरूद्व रूप से अपनी आज्ञा दिनांक 03.08.2011 के प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पत्रावली तलबी में चल रही थी। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना किये बिना, अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। न्यायहित में धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जावें। अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने प्रकरण रिमाण्ड करने पर सहमती प्रदान की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में पत्रावली तलबी में चल रही थी। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना किये बिना, अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। न्यायहित में धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं रेस्पोडेंट की सहमती के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रकिया की पालना कर बाद सुनवाई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.10.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 21.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर